



उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय

इस्टार्ट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी परिसर,

सीतापुर रोड, लखनऊ - 226 021

फोन -2732193, फैक्स-2732185

पत्र संख्या : उ०प्र०प्रा०वि०/कुस०का०/2007/

दिनांक : १०. दिसंबर, 2007 २६७८-२७८४

सेवा में,

संलग्न का - 2A

निदेशक,

आई०टी०एस० इंजीनियरिंग कालेज,  
ग्रेटर नोएडा।

विषय : संस्था को शैक्षिक सत्र 2007-08 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्या ए-14/सोलह-1-2007-13(10)/2007 दिनांक 02 अगस्त 2007 से शासन द्वारा उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन पूर्व मंजूरी के अनुसार कार्य परिषद द्वारा अपनी बैठक दिनांक 19 नवम्बर 2007 में आई०टी०एस० इंजीनियरिंग कालेज, ग्रेटर नोएडा के अन्तर्गत निम्न पाठ्यक्रमों को-

1. कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी०	60 सीट
2. इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी०	60 सीट
3. इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजी०	60 सीट
4. मैकेनिकल इंजीनियरिंग	60 सीट

उकेरा रामुख अंकित प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2007-08 हेतु दिनांक 1-7-2007 से सम्बद्धता की स्वीकृत प्रदान की गई है:-

यथा यह निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शित कमियों को अनिवार्यतः आगामी एक माह में पूर्ण कर लिया जायेगा।

यथा यह निरीक्षण में दर्शित कमियों को अनिवार्यतः आगामी एक माह में पूर्ण कर लिया जायेगा और यथा अभावशाप के मानकों के सापेक्ष संस्था के शैक्षिक स्टाफ/अवस्थापना सुविधाओं को सुनिश्चित करेगी।

यथा यह पार्श्विक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन/उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के सम्बन्ध में यथा यह पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति

(2)

प्राचीन वर्षों से योग्यता का पूर्ण स्वयंसेवकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी 15 अक्टूबर 2008-09 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेगी और संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा।

संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं / विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि-शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को शासन द्वारा प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जाएगी।

संस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा और ऐसा आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कोई कमियाँ नहीं हैं, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में अथवा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियाँ पायी जाने/विवलन की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की आवश्यकता की जायेगी।

भवदीय

  
(यू०एस०त०मर)  
कुलसचिव

का राया व रिकांक : उपरोक्त

प्राचीनिय विभागालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

प्राचीन राया, युवाविधि / श्री राज्यपाल महोदय, राजभवन लखनऊ।

प्राचीन राया, प्राचीन शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

प्राचीन राया भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।

प्राचीन राया नीं प्रमाणी।

  
(यू०एस०त०मर)  
कुलसचिव